भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

01 SEP 2018

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 512440

ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट विलेख दिनांक 18–09–2018 को श्री रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 लाल सिंह निवासी मो0 रामनगर कालोनी शहर व तहसील व पो0 लखीमपुर परगना व जिला खीरी मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक व श्रीमती विमला यादव पुत्री निवाजी सिंह पत्नी श्री रघुवीर सिंह निवासी मो0 रामनगर कालोनी शहर व तहसील व पो0 लखीमपुर परगना व जिला खीरी सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा निम्न प्रकार निष्पादित किया जाता है।

चूंकि दाता की इच्छा है कि छात्र/छात्राओं के शिक्षण, शैक्षिक, व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ किसी उत्तम स्थान पर विद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान व सार्वजनिक हित के अन्य संस्थान स्थापित करने हेतु इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति को न्यास पर व्यवस्थित करें।

क्र० सं०............33

स्टाम्प विक्रय की तिथि............ [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रायोजन............ [illegible]

स्टाम्प क्रेता का पूरा नाम व पता............ [illegible]

.... [illegible]

स्टाम्प की धन राशि............ [illegible]

1000/-

राजे[illegible] सिंह यादव
स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर–खीरी
ला० न०–77 वैद्यता 31-मार्च-2019

नरेन्द्र कुमार वर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

07 SEP 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 652793

ट्रस्ट का नाम	–	विवेक ज्ञानस्थली एजुकेशनल एवं सोशल ट्रस्ट
ट्रस्ट का कार्यालय	–	मो0 रामनगर कालोनी शहर व तहसील लखीमपुर परगना व जिला–खीरी।
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण भारतवर्ष

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली</u> –

यह कि दाता इस विलेख में वर्णित धनराशि न्यास के पक्ष में हस्तान्तरित, अन्तरित और अनुदत्त करता है कि वह उसके नीचे वर्णित न्यास के उद्देश्यों के लिए प्राप्त और धारित करे। ट्रस्ट के द्वारा उसका विनियोग दाता के निर्देशों के अनुसार उक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित और पूरित करने के लिये किया जाए और एतद् द्वारा सर्वदाकाल के लिए इस विलेख में वर्णित उक्त धनराशि में (आज दिन पश्चात न्यास की विषय वस्तु कहा जायेगा) अपने हित तथा उसके प्रति किसी दावा का त्याग करता है। इसके पूर्व न्यासीगण ने एक ट्रस्ट दिनांक 18.10.2017 को निष्पादित कर कार्यालय उपनिबन्धक लखीमपुर में पंजीकृत कराया था जिसकी रजिस्ट्री बही नं0–4 जिल्द सं0 73 पृष्ठ 193 से 234 क्रमांक 93 दिनांक 18–10–2017 पर हुई थी। उक्त ट्रस्ट विलेख में कुछ बिन्दुओं को अंकित करना रह गया था। इसलिये इस ट्रस्ट विलेख का निष्पादन न्यासीगण द्वारा किया गया है। यह ट्रस्ट पूर्व पंजीकृत ट्रस्ट दिनांक 18–10–2017 का अंग रहेगा।

1– शैक्षिक, व्यवसायिक, चिकित्सीय, मनोचिकित्सीय विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थाए एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलना, उनका संचालन करना तथा चालू रखना।

2– चरित्रवान एवं शुद्ध आचरण वाले अध्यापकों, शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करना जो शिष्यों, विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक

न्यास पत्र

क्र० सं० 34 शा० प्रतिफल- 51000 स्टाम्प शुल्क- 2040 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1020 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 1140

श्री रघुवीर सिंह ,
पुत्र श्री स्व० लाल सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: मो० रामनगर कालोनी शहर व तह० लखीमपुर जि० खीरी आ०सं० 3286 4309 9074

राजेश सिंह यादव

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/09/2018 एवं 03:48:25 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

लखीमपुर–खीरी
77 दिनांक 31-मार्च-20

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी० के० मिश्र प्र०
उप निबंधक :सदर
लखीमपुर खीरी
18/09/2018

खीरी सदर लिपिक 2
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14 SEP 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 349376

व्यवसाय, शोध कार्य, बौद्धिक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दक्ष तथा आधुनिकतम् शिक्षण देने के योग्य हो।

3– विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ और समालोचन मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके।

4– विद्यार्थियों तथा उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के लिए छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलाना।

5– न्यास की विषयवस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्ययन अन्तरण या अन्य लेन–देन करना जैसा कि न्यासीकरण ठीक समझे ताकि न्यास के उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यन्वित कर सके।

6– दान, अनुदान, उपहार तथा अन्य भेंटों को स्वीकार करना तथा उन्हें न्यास के प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाना।

7– इस विलेख के अधीन संस्थापित एवं स्थापित किये जाने वाली संस्थाओं के संधारण और देखरेख में होने वाले व्यय तथा अन्य परिव्ययों की पूर्ति के लिए संयत शिक्षा शुल्क लेना।

8– शिष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और संस्कारित करना कि वे शिष्ट और सम्मान जीवन पथ अपनाने के लिए आत्मनिर्भर हो सकें और अच्छे और स्वस्थ प्रगतिशील नागरिक बन सकें।

9– ट्रस्ट को शिक्षण, संस्थायें, शोध केन्द्र, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग, टेक्निकल प्रबन्धन कालेज, डेन्टल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मेसी संस्थायें, पैरामेडिकल कालेज एवं अन्य उच्च समस्त प्रकार की शिक्षा संस्थायें आदि को संस्थान के नियमानुसार स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार होगा।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री रघुवीर सिंह, पुत्र श्री स्व० लाल सिंह

सं० 3 सा० सं० 3 कीमत दि०

निवासी: मो० रामनगर कालोनी शहर व तह० लखीमपुर जि० खीरी आ०सं० 3286 4309 9074

व्यवसाय: कृषि

न्यासी 2: 1

श्रीमती विमला यादव, पुत्री श्री निवाजी सिंह पत्नी श्री रघुवीर सिंह

निवासी: मो० रामनगर कालोनी शहर व तह० लखीमपुर जि० खीरी आ०सं० 6664 ...

व्यवसाय: गृहिणी

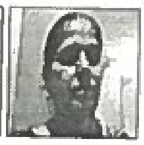

राजेश सिंह यादव
स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर-खीरी
ला० नं०-77

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अमरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश

निवासी: आधाचाट पो० मुडियाखेडा तह० लखीमपुर जि० खीरी आ०सं० 2530 2236 6384

व्यवसाय: नौकरी

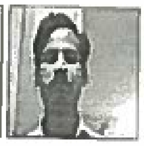

पहचानकर्ता : 2

श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा, पुत्र श्री शत्रोहन लाल

निवासी: कलुवापुर तह० लखीमपुर जि० खीरी आ०सं० 5704 8410 7760

व्यवसाय: कृषि

जितेन्द्र कुमार वर्मा

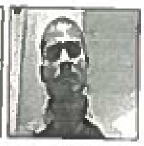

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी० के० मिश्र,प्र०
उप निबंधक : सदर
लखीमपुर खीरी

खीरी सदर लिपिक 2
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 349377

14 SEP 2018

10– ट्रस्ट को हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी क्लीनिक, डायग्नोस्टिक रिसर्च सेन्टर, योग एवं आयुर्वेदिक सेन्टर आदि जो न्यास निर्णय ले, स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार होगा।

11– ट्रस्ट को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार मिशन द्वारा स्वीकृत योजना को जनहित में संचालित करने का अधिकार होगा।

12– ट्रस्ट द्वारा सेमिनार, कान्फ्रेन्स प्रदर्शन आदि के द्वारा पीड़ित मरीजों को सहयोग एवं सलाह देना।

13– ट्रस्ट द्वारा ग्रामोद्योग की स्थापना कर उ0प्र0 व भारत सरकार के सहयोग से संचालित करना।

14– ट्रस्ट द्वारा जनहित के कार्यों हेतु ऐसा कार्य करना जो ट्रस्टीगण निर्णय लें।

15– ट्रस्ट को भारत सरकार, राज्य सरकार, सांसदों विधायकों स्थानीय निकायों आदि के निधियों के सहयोग से विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा।

16– न्यासीगण संस्था की अनुशंसा पर ऐसी वृत्तियों और छात्रवृत्तियां ऐसे निबन्धनों पर जैसे कि वह उचित समझे दे सकेगा जो कि न्यास की विषय वस्तु की आय के समानुपातिक हो।

17– किसी न्यासी की मृत्यु/अक्षमता के कारण उसका उत्तराधिकारी न्यासी मण्डल में होने वाली रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यह व्यवस्था सदस्यों हेतु नहीं होगी।

18– न्यास के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय तत्समय का कार्यकारी न्यासियों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

19– न्यासीगण न्यास की विषयवस्तु के निकाय में से या उसके किसी भाग के विक्रय के आगम में से ऐसी धनराशि जैसे कि न्यासियों द्वारा सर्वसम्पत्ति से संकल्पित की जाए, भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूंजीगत व्यय करने के लिए खर्च कर सकेंगे।

क्र0 सं0 36 शा0 सं0 33 कीमत 100 दि0 14-9-18

Rsyd

राजेश सिंह यादव
स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर–खीरी
ला0 सं0–77 वैधता 31-मार्च-20[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 349378

14 SEP 2018

20— न्यास समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम व भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अधीन नियमित निकाय है जो उसके नियमों और उपनियमों द्वारा अधिशासित होगा।

21— न्यास न्यासियों के शुल्क, अनुदान, उपहार, दान तथा अन्य धनराशियों का जो उसे प्राप्त होगी लेखा देगी और किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में न्यासियों के निर्देश का पालन करेगी।

22— जब तक न्यासकर्ता जीवित रहे और इस मामले में काम करने के योग्य रहे तब तक वह न्यासियों में एक न्यासी रहेगा और न्यासियों तथा न्यास की समस्त बैठकों का सभापतित्व करने का अधिकारी होगा उसका निर्णय मत भी होगा। मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में न्यास की बैठकों में सभापतित्व करने का अधिकार सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव का होगा।

23— ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को देने का अधिकार होगा। यह कि ट्रस्टीगणों को यह अधिकार इस विलेख द्वारा प्रदत्त किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की वर्तमान व भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि बैंक में रखकर बंधक (Morgtage) कर सकेंगे।

24— ट्रस्ट को अपनी संस्थाओं को संचालित करने के लिये बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों, अन्य संस्थाओं, समितियों, व्यक्तियों तथा प्राइवेट कम्पनियों से ऋण एवं बैंक गारन्टी लेने का अधिकार होगा। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि बी0एम0एस0, एम0वी0वी0एस, फार्मेसी व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण, भवन निर्माण व अन्य उपकरण हेतु बैंक गारन्टी आवश्यकतानुसार समय–समय प्राप्त कर

क्र० सं० 32 शा० सं० 33 कीमत 100 दि० 14-9-18

राजेश सिंह यादव
स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर–खीरी
ला० नं०–17 वैधता 31-मार्च-2019

उ० प्र० सरकार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 722867

सकेंगे। ट्रस्टीगण ऋण एवं बैंक गारन्टी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त कर सकेंगे।

25-- ट्रस्ट को सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों के 1/3 संख्या की मांग पर किसी भी समय बैठक आहूत करने का अधिकार होगा।

26– यदि कोई समिति (संस्था) ट्रस्ट में विलय होना चाहे तो ट्रस्ट को अधिकार पूर्ण होगा कि वह संस्था को अपने में विलय कर ले।

27– न्यासी बोर्ड में पदाधिकारियों का चयन न्यासीगणों के द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

28– ट्रस्ट के राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने पर बैंक के सिक्योरिटी दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों पर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक और सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव संयुक्त या एकल रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

29-- ट्रस्ट की चल–अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्टीगणों के दान द्वारा ट्रस्ट के आजीवन सदस्यों व अन्य सदस्यों व समाजसेवियों द्वारा दान से प्राप्त (acquire) होगी एवं क्रय भी की जा सकती है व पट्टे पर भी ली जा सकती है।

30-- ट्रस्ट मानव समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना, कृषि कार्य करना, शिक्षण संस्थान संस्थापित करना।

31– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग–अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग अलग कमेटी गठित करके संचालित करना।

32– ट्रस्ट की ओर से समाज की बुराइयों को दूर करने तथा चिंतन व अच्छे विचारों के प्रचार प्रसार हेतु सन्त समागम कराये जा सकेंगे तथा धार्मिक विचारों व प्रवचन आदि संतों को आमंत्रित कर कराये जा सकेंगे।

R.S. [signature]

विजमा [signature]

38 -33- 20 /159928

Rajod

स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर –खीरी
ला० नं०–77

उ० प्र० सरकार

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 722868

33– सामाजिक कार्य जैसे निर्धन बच्चों की शिक्षा, निर्धन कन्याओं का विवाह, गरीब मरीजों तथा जरूरतमन्द लोगों की दवा आदि का प्रबन्ध शिक्षण संस्थान स्थापित करना, खेल कूद में दक्ष छात्रों की सहायता करना।

34– ट्रस्ट के अधीन यदि किसी विद्यालय या कालेज की स्थापना की जाती है तो विद्यालयों की सम्बद्धता (Affilation) यू0पी0 बोर्ड, आई0सी0 एस0सी0 बोर्ड तथा सी0बी0एस0सी0 बोर्ड किसी से भी की जा सकेगी। डिग्री कालेज खोलने की स्थित में उस क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले विश्व विद्यालय या तद् समय व तद् प्रावधानों के अनुसार अधिकृति विश्व विद्यालय से सम्बद्धता (Affilation) किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उक्त स्कूलों तथा कालेजों के प्रशासन एवं संचालन हेतु ट्रस्ट मण्डल में प्रस्ताव पारित कर अलग अलग प्रशासनिक कमेटियों का गठन किया जा सकेगा तथा कोई भी अनियमितता पाए जाने पर उक्त कमेटियों को भंग करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।

35– ट्रस्ट की सम्पत्ति को ट्रस्ट हित में मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक व सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव को विक्रय का अधिकार संयुक्त रूप से होगा इसके लिये अलग से किसी न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

36-- ट्रस्ट विवेक ज्ञानस्थली एकेडमी, ज्ञानस्थली एकेडमी तथा सरस्वती ज्ञान मन्दिर नामों के साथ अन्य किसी नाम से शिक्षण संस्थाएं या अन्य संस्थान खेाल सकेगा।

प्रतिबन्ध--

1– विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

2– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी वच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा

R.S. [signature] विद्यामा

39 33 20 14928

Rayed

स्टाम्प विक्रेता
तहसील लालगंज
लाo नं०–77 बैच 31

सत्यमेव जयते
उ० प्र० सरकार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 722869

परिषद/वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।

4– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

5– कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

6– राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

7– विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेगे।

8– जनहित याचिका संख्या 483/2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपयोग हेतु भली भांति प्रशिक्षित है।

9– उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन /परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

R.S. Yadav

विमला

40 33 20 14-9-18

Rajesh

स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर
लाo नंo–77 वैधता 31 मार्च 20..

वमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 722870

<u>ट्रस्ट धन का विनियोग</u>–

1– ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान के अनुसार किया जायेगा।

2– उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना, सहायता लेना व देना व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेंचना निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर लेना व देना, बैंक व्यवहार व अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।

3– ट्रस्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से दान व चन्दा, क्रय–विक्रय एवं विनिमय पट्टा किराये पर या अन्य किसी प्रकार के भूखण्ड, भवन या कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना या उससे व्यवसाय करना, विक्रय प्रबन्ध, हस्तान्तरण, दृष्टिबन्धक किसी भी भांति निपटाना या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग में लेना।

4– मुख्य ट्रस्टी/प्रवन्धक द्वारा इस ट्रस्ट में इस समय धनराशि रू0 51000/– निहित की जाती है।

<u>ट्रस्ट मण्डल</u>–

1– ट्रस्ट का स्थायी बोर्ड होगा जिसमें पदाधिकारियों सहित ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 5 से कम और 11 से अधिक न होगी। इन्हीं स्थायी सदस्यों में से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ट्रस्ट में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति से एक वर्ष का होगा, परन्तु उनकी पुनः नियुक्ति भी सम्भव होगी। इस ट्रस्ट के निष्पादन के समय 5 ट्रस्टीगण की कार्यकारिणी गठित की गई है। भविष्य में मुख्य ट्रस्टी को उपरोक्त 5 ट्रस्टी के अतिरिक्त अधिकतम 4 ट्रस्टी ट्रस्ट कार्यकारिणी की सहमति से नियुक्त करने का अधिकार होगा। ट्रस्ट कार्यकारिणी की सहमति से मुख्य ट्रस्टी किसी भी ट्रस्टी को ट्रस्ट हित में उसके द्वारा किये गये व्यय का भुगतान कर सकेगा।

विमला

क्र० सं०..................................

स्टाम्प विक्रय की तिथि..................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..................

स्टाम्प क्रेता का पूरा नाम व पता..................

..........पां..................

स्टाम्प की धन राशि...... 33 — 20-14918

Rajesh

राजेश सिंह यादव

स्टाम्प विक्रेता

तहसील ... चौरी-चौरा

ला० नं०–77 वैधता 31 मार्च-2018

निबंधक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 722871

2– ट्रस्ट की स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ही की जा सकेगी। मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक जीवनपर्यन्त पद पर रहेंगे।

3– स्थायी न्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके स्थान पर पुनः नियुक्ति मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ही की जा सकेगी। किसी भी स्थायी सदस्य को हटाने का निर्णय ट्रस्ट मण्डल के बहुमत से होगा।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी सरकारी, गैर सरकारी अथवा वित्तीय संस्थान बैंक से सहायता ऋण लेने की दशा में ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक अथवा वह जिसको नामित करें वह सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव के साथ संयुक्त रूप से समस्त दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा।

5– ट्रस्ट के मण्डल में कोई भी पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो वह मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा नामित व्यक्ति से ही भरा जायेगा।

6– ट्रस्ट मण्डल के मध्य निर्णय या किसी विवाद की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है जो अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

7– ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिए सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव के द्वारा ही किया जायेगा।

8– किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक को एक अतिरिक्त मत देने का विशेषाधिकार होगा। अस्थायी ट्रस्टियों की भूमिका मात्र परामर्श देने की रहेगी तथा उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

9-- ट्रस्ट के विधिक कार्यों की देखरेख के लिए मुख्य ट्रस्टी अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है।

42 33 20 14918

Rayd

स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर
लाo नंo–77 वैधता 31 मार्च 201

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 722872

10– ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के मरणोपरान्त उसके उत्तराधिकारियों में से उसका पुत्र मुख्य ट्रस्टी होगा। उसे ट्रस्ट में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो वर्तमान मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा प्राप्त हैं सहायक मुख्य ट्रस्टी के मरणोपरान्त ट्रस्ट के बहुमत से कोई एक पुत्री सहायक मुख्य ट्रस्टी होगी।

11– निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर ट्रस्ट का पद रिक्त माना जायेगा।

अ– त्याग पत्र देने एवं मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने पर।

ब– नैतिक पतन से सम्बद्ध अपराध में सजा हो जाने पर।

स– मन एवं बुद्धि अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर।

द– दिवालिया घोषित होने पर।

य– मृत्यु हो जाने पर।

43 — 33 — 20 — 14-9-18

राजेश [illegible] सिंह [illegible]
स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर [illegible]
ला० नं०–77 वैधता 31-[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 722873

ट्रस्ट के निम्नलिखित स्थाई सदस्य एवं पदाधिकारीगण तथा ट्रस्ट मण्डल में ट्रस्टी होंगे जिन्होंने अपनी लिखित सहमति प्रदान कर दी है।

ट्रस्टीगणों का विवरणः—

क्र0 सं0	नाम व पता	आयु	पद	व्यवसाय
1	श्री रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 लाल सिंह निवासी मो0 रामनगर कालोनी शहर व तहसील व पो0 लखीमपुर परगना व जिला खीरी	53	मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक	समाजसेवा
2	श्रीमती विमला यादव पुत्री निवाजी सिंह पत्नी श्री रघुवीर सिंह निवासी मो0 रामनगर कालोनी शहर व तहसील व पो0 लखीमपुर परगना व जिला खीरी	49	सहायक मुख्य ट्रस्टी / सचिव	गृहणी / समाज सेवा
3	तृप्ती यादव पुत्री रघुवीर सिंह यादव निवासी मो0 रामनगर कालोनी शहर व तहसील व पो0 लखीमपुर परगना व जिला खीरी	21	कोषाध्यक्ष	अध्यापन
4	श्रीमती शिल्पी यादव पुत्री संजय सिंह निवासी ग्राम रमऊपुर पो0 लखना जिला इटावा उ0प्र0।	26	ट्रस्टी	गृहणी
5	श्री सहदेव सिंह यादव पुत्र फूल सिंह यादव नि0ग्रा0 रमऊपुर पो0 लखना जिला इटावा उ0प्र0	53 वर्ष	ट्रस्टी	सेवानिवृत्त

RS Yadav

विमला

664 33 20 14910

स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर
ला० नं०-77 वैधता 3

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 722874

<u>मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

1– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी कर्मचारी/सदस्य मैनेजमेन्ट कमेटी की वैतनिक, अवैतनिक नियुक्ति/पदच्युत करना।

2– ट्रस्ट की नीतियों का निर्धारण करना।

3– ट्रस्ट की वार्षिक बजट की स्वीकृति देना।

4– लेखा पुस्तकों, आय–व्यय, खाता चिट्ठा एवं आडिटर की रिपोर्ट विचार व स्वीकृति देना एवं अगले साल के लिये आडिटर की नियुक्ति करना।

5– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं हेतु उनकी सम्पत्तियों पर ऋण का लेन देन करना रहन रखना, पट्टा लेना व देना चल व अचल सम्पत्तियों का क्रय विक्रय व निर्माण आदि ट्रस्ट नियमावली में विहित विधि एवं प्रावधानों के अनुसार करना या करवाना।

6– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये देश–विदेश से सहायता लेना व देना।

7– ट्रस्ट की बैठकें आयोजित करना या कराना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

8– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ट्रस्ट का सदस्य बनाना।

9– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये गये सभी प्रकार के व्यय को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

विमला

क्र०सं० 45 ... 33 ... दिनांक 20 ... L4928

राजेश ...
स्टाम्प विक्रेता
तहसील लखीमपुर ...
ला० नं०–77 वैधता 31-मार्च-20[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 722875

10— ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना।

11— किसी अधिकार के कार्यान्वयन में नियुक्ति का अधिकार होगा।

<u>सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य</u>—

1— मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के परामर्श से ट्रस्ट मण्डल की बैठक आयोजित करना।

2— ट्रस्ट के उद्देंश्यों की पूर्ति के लिये पत्र व्यवहार करना।

3— वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

4— लेखा पुस्तकों को तैयार करना व कराना।

5— ट्रस्ट की सभी गतिविधियों से ट्रस्ट मण्डल को अवगत कराना।

6— ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन ट्रस्ट नियमावली में विहित विधि एवं प्रावधानों के अनुसार करना।

7— ट्रस्ट के पक्ष में मुख्य ट्रस्टी के साथ अपने हस्ताक्षर से ट्रस्ट हित में जमीन, जायदाद, खरीदना, विक्रय करना, बंधक रखना, बैंक से केश क्रेडिट कार्ड बनवाना, बैंक डिपाजिट करना।

विमला

क्रम सं०......................................

स्टाम्प विक्रय की तिथि ....

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का पूरा नाम व पता..........................

....

स्टाम्प की धनराशि 146 .... 33 -20 14-9-10

राजकुमार [illegible]
स्टाम्प विक्रेता,
तहसील लखीमपुर-खीरी
ला० नं०-77 वैधता 31 मार्च-2010

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 722876

8— ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के निर्देशानुसार स्थायी उपरोक्त अधिवक्ता को देखने एवं निस्तारण कराने के लिये निर्देशित करना।

9— अन्य सभी कार्य जो ट्रस्ट मण्डल द्वारा सौंपे जायें।

10— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग अलग कमेटी गठित करके संचालित करना। सहायक मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप न कार्य करने की दशा में मुख्य ट्रस्टी से अनुमोदन लेकर उक्त कमेटी को भंग कर सकता है।

<u>कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य—</u>

1— ट्रस्ट के द्वारा अर्जित किये गये आय एवं व्यय का हिसाब—किताब रखना।

2— लेखा—पुस्तकों को आडिट कराना एवं ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।

3— वार्षिक बजट तैयार करके ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना एवं मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक से स्वीकृति कराना।

4— ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये धन संग्रह करना।

5— ट्रस्ट मण्डल की सभी बैठकों में उपस्थित रहना।

6— अन्य सभी कार्य जो मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सौंपे जायें।

क्रमांक (.-) क्र०सं० 33 20 14910

[illegible]
स्टाम्प [illegible]
तहसील [illegible]
[illegible] 77 [illegible] 31-[illegible]-2018

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 722877

ट्रस्टमण्डल के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करवाने, जिसमें सामान्य एवं उच्च तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये स्थान इत्यादि को तलाश करके ट्रस्ट की सहायता करना।

2– ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यो को विधिपूर्वक सम्पन्न कराने में मदद करना।

ट्रस्ट की बैठक–

1– वर्ष में कम से कम एक बार ट्रस्ट की बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। इसके लिये सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना देनी होगी।

2– आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा 24 घन्टे की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

वित्तीय वर्ष–

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। उक्त वित्तीय वर्ष की तिथियों में यदि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो वही मान्य होगा।

बैंक एकाउन्ट–

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक, सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव तथा कोषाध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के नाम पर किसी भी सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा तथा धनराशि आहरण ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक व सहायक

क्र0 सं0 40 रसी0 सं0 32 दिनांक 2014-9-18

Rajesh

[illegible]

स्टाम्प वि[illegible]

तहसील [illegible]पुर [illegible]

ला0 नं0–17 वैधता 31-मार्च-20[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 722878

17

मुख्य ट्रस्टी/सचिव तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा जिसमें ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी/ प्रबन्धक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

ट्रस्ट की न्यायिक अधिकारिता–

ट्रस्ट में किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक अधिकारिता जनपद लखीमपुर–खीरी माना जावेगा।

घोषणापत्र में संशोधन–

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपरोक्त घोषणा पत्र में समय समय पर संशोधन/परिवर्तन, मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक व सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा किया जा सकता है। हम एतद्द्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर से इस ट्रस्ट के घोषणा पत्र का निष्पादन करते हैं।

आधार नं० 253022361384

साक्षीगण–

1- नरेन्द्र कुमार S/o श्री ओम प्रकाश ग्रा. आधाचार पो० कुड़िया रेहरा जि० लखीमपुर खीरी 9450210375 आधार– 570484707760

2– जितेन्द्र कुमार वर्मा S/o शत्रोहन लाल ग्राम - कलवापुर पो० कालाश्राम लखीमपुर खीरी 9125192182

ह0 मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक
आधार सं0 328643099074
मो0नं0 9450488757

ह0 सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव
आधार सं0 666499259401
मो0नं0 7084562426

दिनांक– 18–09–2018

इस ट्रस्ट विलेख को मेरे द्वारा ड्राफ्ट किया गया।

Vivek Ranjan Srivastava
Advocate
Lakhimpur - Kheri
Reg. No. 14358/10

क्र० सं० 49 रजि० सं० 33 दिनांक 20 14-9-18

Rajesh

राजेश [illegible]
स्टाम्प विक्रेता
तहसील ज्ञानपुर [illegible]
ला० नं०-77 वैधता 31-मार्च-2019

[illegible] तहसील [illegible]

भारत सरकार
Government of India

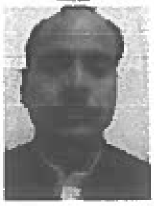

रघुवीर सिंह
Raghuveer Singh
जन्म तिथि / DOB : 02/04/1964
पुरुष / Male

3286 4309 9074

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
S/O लाल सिंह, राम नगर कॉलोनी, लखीमपुर, खीरी, खीरी, उत्तर प्रदेश, 262701

Address:
S/O Lal Singh, RAM NAGAR COLONEY, Lakhimpur, Kheri, Kheri, Uttar Pradesh, 262701

3286 4309 9074

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

विमला यादव
VIMLA YADAV
पति : रघु बीर सिंह यादव
Husband : Raghu Bir Singh Yadav
जन्म तिथि / DOB : 10/07/1967
महिला / Female

6664 9925 9401

आधार - आम आदमी का अधिकार

विमला

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
राममनगर कालोनी, लखीमपुर, खीरी, खीरी, उत्तर प्रदेश, 262701

Address:
RAM NAGAR COLONY, Lakhimpur, Kheri, Kheri, Uttar Pradesh, 262701

6664 9925 9401

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

अमरेन्द्र कुमार
Amrendra Kumar
जन्म वर्ष / Year of Birth 1976
पुरुष / Male

2530 2236 6384

आधार – आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: S/O ओम प्रकाश, आधा चाट, मुड़िया खेरा, खैरी, उत्तर प्रदेश, 282701

Address: S/O Om Prakash, Adha Chat, Mudia Khera, Kheri, Uttar Pradesh, 282701

1947
1800 180 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in
P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001

अमरेन्द्रकुमार

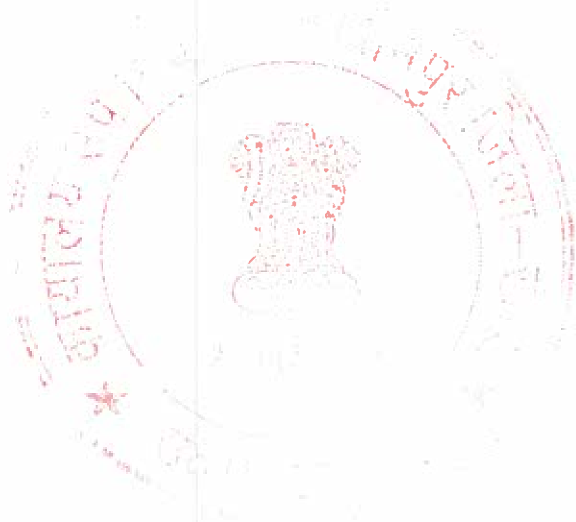

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 78 के पृष्ठ 295 से 336 तक क्रमांक 79 पर दिनाँक 18/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी० के० मिश्र प्र०
उप निबंधक : सदर
लखीमपुर खीरी
18/09/2018

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

जितेन्द्र कुमार वर्मा
Jitendra Kumar Verma
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1988
पुरुष / Male

5704 8410 7760

आधार – आम आदमी का अधिकार

जितेन्द्र कुमार वर्मा

आधार
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: S/O शत्रोहन लाल, कलुवापुर, कलाअम, खीरी, उत्तर प्रदेश, 262701

Address: S/O Shatrohan Lal, Kaluwapur, Kalaam, Kheri, Uttar Pradesh, 262701

1947
1800 180 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in
P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001